



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

क्रमांक : रा.आ./2025/719

दिनांक : 16/12/25

प्रार्थी  
भेराराम पुत्र तगाराम जाति मेघवाल  
निवासी बांकनाडी, बायतु पनजी,  
तहसील बायतु, जिला बालोतरा।

बनाम

विप्रार्थी  
गणपत कुमार पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल  
निवासी बांकनाडी, बायतु पनजी, तहसील  
बायतु, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 90/2025

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बांकनाडी पटवार हल्का बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 747/646 रकबा 11.5283 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है, एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 1000/-जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : रा.आ./2025/720-725

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. भु-अभिलेख निरक्षक बायतु पनजी।
3. पटवार हल्का बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बालोतरा को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी भेराराम पुत्र तगाराम
5. विप्रार्थी गणपत कुमार पुत्र शंकरलाल वगैरा 13
6. पुलिस थानाधिकारी बायतु।

( कल्पित शिवराम )  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला - बालोतरा  
दिनांक : 16/12/25

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला - बालोतरा